14/10/16 पत्रावली प्रार्थी अनंत राम, श्री मुकेश कुमार व प्रार्थी रामकुमार आदि के विरुद्ध तहसील के आदेश पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी रामकुमार अधिवक्ता श्री MR शुक्ला व प्रार्थी अनंतराम व प्रमोदराम व अनेक पक्ष का निवेदन किया कि समझौता के तहत भागीदारी के अनुसार आवेदन हमारा समाप्त करने चाहते है श्रीमान कोर्ट का समय नष्ट हो। आवेदन खारिज किया जाने की प्रार्थना करें। प्रार्थी म. 2 अनंतराम व प्रार्थी म. 3 प्रमोदराम की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी श्री MR शुक्ला द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर आवेदन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसला शुमार होकर नकल के काम हो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़